(139)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /IV/2013 निगरानी –2938-III/13

1. श्रीमती पूनम जैन वेवा राजू उर्फ राजेश कुमार जैन,
2. कु0 सुहानी जैन पुत्री राजेश जैन, नाबालिग सरपरस्तम माँ श्रीमती पूनम जैन निवासीगण–खतौरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी, हाल निवासी– 1/704, आवास विकास कॉलोनी बोदला आगरा–7 (उ0प्र0)

----आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती लीलाबाई वेवा ऋषभचंद जैन, निवासी–खतौरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म0प्र0)
2. श्रीमती अंतिम जैन पत्नी श्री रिसव कुमार जैन पुत्री श्री ऋषभचन्द्र जैन, निवासी–मानिक क्लॉथ स्टोर, मैन बाजार, श्योपुर (म0प्र0)
3. श्रीमती अल्काजैन पत्नी श्री बृजेश कुमार जैन, पुत्री श्री ऋषभचन्द्र जैन, निवासी-द्वारा वीरेन्द्र कुमार, बृजेश कुमार जैन, ए0बी0रोड़ मु0पो0 मोहना जिला ग्वालियर (म0प्र0)
4. श्रीमती चन्दनवाला पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन, पुत्री श्री ऋषभचन्द्र जैन, निवासी–29, घनपालेश्वर, सोसायटी, वटवा अहमदाबाद।
5. श्रीमती कुन्दनवाला जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्री श्री ऋषभचन्द जैन, निवासी–ए/93, नित्यानन्द नगर, सोडाला रोड़, जयपुर (राजस्थान)

----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 07.06.2013 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र प्र.क्र. 46/11-12/नि.माल।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का अलोच्य आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रवली के विरुद्ध होने से तथा फाइंडिंग परवर होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया कि अधीनस्थ एस.डी.ओ. न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2011 न्यायालय तहसीलदार बदरवास के प्रकरण क्रमांक 69/09-10 अ-6 में पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील उनके समक्ष लम्बित नही की और न ही उसे कोई चुनौती दी गई थी, अतः उक्त आदेश का क्रियान्वयन अन्य आदेश तक स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं था। जबकि दिनांक 25.05.2011 के आदेश का क्रियान्वयन होकर प्रार्थीगण का नाम खसरे में अंकित हो चुका है, न्यायालय स्थगन पर विचार करते समय आदेश दिनांक की स्थिति यथावत रख सकता है। आदेश का क्रियान्वयन हो जाने के पश्चात् उसे स्थगित रखने का कोई औचित्य नही है आदेश दूषित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रश्न पर कोई गौर नही किया कि एस.डी.ओ. न्यायालय में अपील अवधि बाह्य होने के प्रश्न पर कोई सुनवाई नही की है तथा उनके समक्ष जब अपील पेश की गई थी उक्त अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं था। अपील आदेश ग्राम पंचायत खतोरा, तहसील बदरवार के आदेश दिनांक 26.01.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो आदेश दिनांक के 45 दिन के अन्दर ही प्रस्तुत की जाना चाहिये थी। उक्त सम्बन्ध में धारा 5 के आवेदन जो न्यायालय एस.डी.ओ. के समक्ष बाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन का जवाब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर दिया है, उसका निराकरण किये जाने के बाद ही अधीनस्थ कलेक्टर महोदय को उस पर गौर करने का अधिकार था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर आलोच्य आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2738/तीन/2013 जिला- शिवपुरी

पूनम जैन आदि विरूध लीलाबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 46/2011-12/नि.माल में पारित आदेश दिनांक 07/06/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18/7/19 को आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 28/5/19	